

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/देवघर;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : ०१/०३/१९

**विषय :-** मॉग संख्या-49—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष-80—सामान्य, लघु शीर्ष-789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-66—नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विस्तृत शीर्ष-05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180789660545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में निधि का आवंटन।

**प्रसंग :-** प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-69 / 18-19, दिनांक—14.02.2019, 37 / 18-19, दिनांक—19.11.2018, 67 / 18-19 दिनांक—14.02.2019 एवं 31 / 18-19, दिनांक—22.10.18

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग/ 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80—सामान्य	789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना/ 66—नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार	05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य 49S470180789660545	162.55

आवंटित राशि — ₹ एक करोड़ बासठ लाख पचपन हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध ₹. 400.00 लाख (चार करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1362 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दुबे)  
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

  
 (अरुण कुमार सिंह) 28.2.19  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 194


प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/मेदिनीनगर/देवघर/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ अनुलग्नक—यथोक्त्।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

राँची, दिनांक :— 01/03/19


ज्ञापांक :— 194

राँची, दिनांक :— 01/03/19


  
 (अरुण कुमार सिंह) 28.2.19  
 अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

  
 (राजेन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अभि.)

  
 (रमेश कुमार दूबे)  
 विशेष सचिव

  
 (हेमन्त कुमार) 28.2.19  
 अभियंता प्रमुख—1  
 (अरुण कुमार सिंह) 28.2.19  
 अपर मुख्य सचिव

माँग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-४७०१ मध्यम सिचाई पर पैंजीगत परिव्यय,  
उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य,लघु शीर्ष-८९-अनुसन्धान का निर्माण एवं पुराने भवन का जीणांद्वारा  
उप शीर्ष-६६-नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन का जीणांद्वारा

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५-निर्माण कार्य, विपत्रकोड- ४९S470180789660545

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में बजट उपबंध ४००.०० लाख (चार करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीर्कृति		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में आवंटन	On-line Allotment Access No.	अन्युकृति	
				प्रसंग	साझे					
1				5	6	7	8	9	10	11
1	प्रमंडल साहेबगंज (SBJIRR016)	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष ४७०१ में भवनों का सम्पादण, पुरानी भवनों की मरम्मति के अधीन मुख्य अभियंता भवनों का सम्पादण, देवधर परिक्षेत्राधीन कार्य।	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष ४७०१ में भवनों का सम्पादण, देवधर परिक्षेत्राधीन कार्य।	0.00	0.00	4.00	4.00		गांग पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज के कार्यालय एवं डी टाईप व्हार्ट में डीप बोरिंग का कार्य (प्र०.रु. रु. 8.00 लाख)।	
				0.00	0.00	1.54	1.54		गांग पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज कार्य (प्र०.रु. रु. 1.54 लाख)।	
				0.00	0.00	50.00	50.00		गांग पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज अंतर्गत एफ. टाईप आवासीय परिवर्तन में लिखित कुओं मरम्मति कार्य (प्र०.रु. रु. 50.00 लाख)।	
				69 / १८-१९ प्र०स्टी दिनांक-१४.०२.२०१९	839.66	0.00	25.00	25.00	गांग पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज अंतर्गत एफ. टाईप आवासीय परिवर्तन का निर्माण कार्य (प्र०.रु. रु. 22.99 लाख)।	
				2122/14.02.19		0.00	0.00	10.00	गांग पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज अंतर्गत एफ. टाईप आवासीय परिवर्तन का निर्माण कार्य (प्र०.रु. रु. 50.59 लाख)।	
						0.00	0.00	24.23	गांग पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज अंतर्गत पुराने गोदाम एवं ३ अद्वा एफ. टाईप व्हार्ट का मरम्मति सम्पादण एवं विस्तारीकरण कार्य (प्र०.रु. रु. 24.23 लाख)।	
						योग	839.66	0.00	114.77	114.77
2	सिंचाई प्रमंडल, देवधर (DGRCM/MF59)	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष ४७०१ में भवनों का सम्पादण, पुरानी भवनों की मरम्मति के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवधर परिक्षेत्राधीन कार्य।	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष ४७०१ में भवनों का सम्पादण, पुरानी भवनों की मरम्मति के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवधर	69 / १८-१९ प्र०स्टी दिनांक-१४.०२.२०१९	839.66	0.00	25.00	25.00	सिंचाई कालोनी देवधर लिखित आवासीय भवनों का मरम्मति एवं रख-रखाव कार्य (प्र०.रु. रु. 204.76 लाख)।	
				Online AA- 2122/14.02.19		0.00	0.00	98030	सिंचाई कालोनी देवधर के परिसर में HYDT/Well का निर्माण	
						31 / १८-१९ प्र०स्टी दिनांक-२२.१०.२०१८	3.78	0.00	3.78	सिंचाई कालोनी देवधर परिसर में HYDT/Well का निर्माण
				Online AA- 1427/23.10.18		योग	843.44	0.00	28.78	28.78

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधि।)(संस्कृत कुमार द्वेरा)  
विशेष सचिव(हेमत कुमार)  
अभियंता मुख्य सचिव(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव  
22 2019

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख रु. म)

क्र. प्रमंडल का नाम अधियंता	मुख्य योजना का नाम अधियंता	प्रशासनिक स्थीर्घ्यति		मार्च 2018 तक का व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	On-line Allotment Access No.	अस्थिति
		प्रसंग	राशि						
1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11				12
3 जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR003)	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों के सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मति के अधीन मुख्य अधियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर एवं मेदिनीनगर पाइपलाईन कार्य।	37 / 18-19 प्र०स्टी० दिनांक- 19.11.2018 Online AA- 1545/19.11.2018	265.60 0.00	0.00 9.00	9.00 9.00	98034			मुख्य अधियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के आवास के चाहरदिवारी, चौकीदार रुम, ऐरेज निर्माण एवं संग-रोगन इत्यादि कार्य (प्र०स्टी० रु. 49.90 लाख)।
4 जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR004)	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों के सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मति के अधीन मुख्य अधियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर, पाइपलाईन कार्य।	67 / 18-19 प्र०स्टी० दिनांक- 14.02.2019 Online AA- 2120/14.02.19	670.98 0.00	0.00 10.00	10.00 10.00	98035			गढ़वा अवासित सिचाई कॉलोनी एवं निरीक्षण भवन (जनहर भवन) तथा नार कैटरी (नाया नाम चंडीगढ़ नार) अवासित सिचाई कॉलोनी एवं निरीक्षण भवन (जल क्रांति भवन) का वार्तिक रुख-रखाच एवं सम्पोषण (प्र०स्टी० रु. 10.00 लाख)।
	योग	936.58	0.00	0.00	19.00	19.00			
	योग	2619.68	0.00	0.00	162.55	162.55			

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ बासठ लाख पचपन हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधि.)

(रमेश कुमार दुबे)  
उप सचिव

(हिमन्त कुमार)  
अधियंता प्रमुख-1

(अल्प कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

194  
०१/०३/१९